

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं0 0755-2551330

अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र क्रमांक -----

26 जनवरी 2025 राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भोपाल में
चलित झांकियां निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिये
अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र एवं शर्तें

1. ऑफर प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिकतिथि – 09.12.2024 समय 3.00 बजे से
2. ऑफर प्रपत्र जमा की अंतिम तिथि – 31.12.2024 समय 3.00 बजे तक
3. ऑफर खोलने की तिथि – 31.12.2024 समय 4.00 बजे अपराह्न
4. धरोहर राशि रूपये – 50,000 /- (रु. पचास हजार मात्र)
5. ऑफर प्रपत्र की विक्रय कीमत रूपये – 1,000 /- (रूपये एक हजार मात्र)

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं० 0755-2551330

26 जनवरी 2025 राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भोपाल में
चलित झांकियां निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिये
अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित है

गणतंत्र दिवस समारोह 2025 भोपाल शहर में विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय चलित झांकियां निर्माण एवं प्रदर्शित करने संबंधी कार्यों के लिए मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठित एवं कम से कम 3 वर्षों का राज्य स्तरीय शासकीय/अर्द्ध शासकीय झांकियों संबंधी कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्मों से अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित है। ऑफर प्रपत्र रूपये 1,000/- नगद जमा कर (जिसकी वापसी नहीं होगी) दिनांक 09.12.2024 (अपरान्ह 3.00 बजे) से कार्यालयीन दिनों में फर्म के लेटरहेड पर आवेदन पत्र देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। सीलबंद ऑफर दिनांक 31.12.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। प्राप्त ऑफर उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। ऑफर के साथ रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। किसी भी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा एवं न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा। यह विज्ञापन वेबसाइट www.mpmadhyam.in पर भी उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

26 जनवरी 2025, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भोपाल में विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय चलित झांकियां निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिए अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र एवं शर्तें

26 जनवरी 2025, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भोपाल में विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय चलित झांकियों के निर्माण एवं प्रदर्शित करने के लिये ऑफर का विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

गणतंत्र दिवस पर्व 2025 हेतु भोपाल शहर में प्रदर्शित की जाने वाली चलित झांकियों के लिए झांकी निर्माताओं से दिनांक 09.12.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे से निम्नांकित शर्तों पर रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त ऑफर 31.12.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे खोले जायेंगे।

1. ऑफरकर्ता अपने ऑफर के साथ प्रतिभूति राशि का 'मध्यप्रदेश माध्यम' के नाम से भोपाल में देय रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र, का किसी प्रतिष्ठित बैंक का बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें। प्रतिभूति राशि के बिना ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं ऑफर स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
2. (अ) ऑफरकर्ता को शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों के लिए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी भोपाल के लिये 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों में (अर्थात वर्ष 19-20 से 23-24 के बीच 03 वर्ष) न्यूनतम 3 बार झांकी बनाने का अनुभव होना आवश्यक है। कार्यादेश एवं उनके अनुभव प्रमाण-पत्र ऑफर के साथ संलग्न करें। उपयुक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में ऑफर स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
(ब) ऑफरकर्ता फर्म का टर्नओवर विगत पांच वर्षों (वर्ष 19-20 से 2023-24 के बीच) का औसत कम से कम 10 लाख रूपये (दस लाख रूपये) या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
3. जिन ऑफरकर्ताओं द्वारा निर्मित झांकियों को (वर्ष 2019-20 से 23-24 तक) में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी की झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए पुरस्कार (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्राप्त हुए हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी। ऑफरकर्ता को उन्हें प्राप्त पुरस्कार के प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियां ऑफर के साथ संलग्न करनी होगी।
4. ऑफरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा की झांकी के लिए उपयुक्त मॉडल, ड्रेस सहित एवं झांकी की थीम के अनुरूप झांकी में प्रस्तुत करेंगे। इनका समस्त व्यय ऑफरकर्ता को वहन करना होगा। समस्त कलाकारों एवं समस्त लेबर्स के पुलिस व्हेरिफिकेशन ऑफरकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाना होगा।

5. ऑफरकर्ता को फर्म के टर्न ओवर की पुष्टि के लिये क्रमांक 6 के 'द' में उल्लेखित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. ऑफर के साथ निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाये :-
 - (अ) प्रतिभूति राशि रूपये 50,000 /— (बैंकर्स चैक अथवा डीमांड ड्राफ्ट)।
 - (ब) झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन का 3 वर्षों का अनुभव के प्रमाण पत्र, कलाकार, शिल्पकार के प्रमाण पत्र, झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन में प्राप्त किये गये पुरस्कार के प्रमाण पत्र, फर्म के वैध पंजीयन का प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का स्थाई लेखा क्रमांक, जीएसटी पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति (यदि लागू हो) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर के साथ प्रस्तुत दस्तावेज यदि गलत पाये जाते हैं तो, ऑफरकर्ता द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जायेगी एवं भविष्य में उक्त ऑफरकर्ता को म.प्र. माध्यम द्वारा ब्लेकलिस्ट कर दिया जायेगा।
 - (स) ऑफरकर्ता को पूर्ण रूप से भरा गया ऑफर प्रपत्र जिसमें झांकी की डिजाइन, झांकी का माडल एवं झांकी निर्माण तथा प्रदर्शन कार्य की एकजाई दरें एवं समस्त टैक्स (टैक्स का नाम एवं प्रतिशत) की दरें पृथक—पृथक संलग्न निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। दरों के अलावा कोई भुगतान देय नहीं होगा। म.प्र. माध्यम द्वारा इसके अतिरिक्त किसी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - (द) टर्नओवर :- वित्तीय वर्ष पिछले 5 वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति, जीएसटी रिटर्न की प्रति (यदि लागू हो) टर्नओवर हेतु C.A. का प्रमाण—पत्र (UDIN सहित)।
 - (ई) फर्म के बैंक खाते की प्रमाणित जानकारी (आर.टी.जी.एस. के लिये)।
7. ऑफरकर्ता को ऑफर के समस्त पृष्ठों पर सहमत हूँ, शब्द अंकित करते हुए अपने प्रतिष्ठान की सील सहित हस्ताक्षर कर शर्तों को अपनी ऑफर के साथ संलग्न करना होगा।
8. ऑफर के निर्णय को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य छुपाये जाने को संबंधित ऑफरकर्ता की अपात्रता मानी जावेगी।
9. झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए निर्धारित राशि (समस्त टैक्स सहित जो भी लागू हो) का भुगतान संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण करने, देयक प्राप्त होने एवं संबंधित विभाग/कार्यालय से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।

10. किसी भी ऑफर को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे तथा इस प्रकरण में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के निर्णय अंतिम एवं सर्वसंबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।
11. विभागाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर झांकी निर्माण कार्य के दौरान अवलोकन कर निर्देशित किया जाता रहेगा एवं म.प्र. संस्कृति विभाग द्वारा दिये गये निर्देश भी निर्माणकर्ता को मान्य करने होंगे। विभागाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्माण सही पाये जाने पर ही झांकी को प्रदर्शन की अनुमति दी जावेगी तथा प्रदर्शन उपरांत ही निर्माणकर्ता को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
12. निर्धारित समय के पश्चात, बिना प्रतिभूति राशि/मांगे गये प्रमाण पत्रों के बिना/अपूर्ण/अस्पष्ट/अनसील्ड तथा काट-छांट वाले ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. झांकी के लिये कार्य करने वाले कलाकारों, डिजाइनरों का नाम एवं पत्तों की जानकारी मोबाईल नम्बर सहित संलग्न की जाये।
14. यह ऑफर प्रपत्र अहस्तांतरणीय है।
15. झांकी के निर्माण एवं उसकी सजावट में उपयोग में लाये गये सामान की गुणवत्ता व मजबूती में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर झांकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं निर्माता की प्रतिभूति राशि राजसात कर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. झांकी निर्माण के दौरान विषय वस्तु को उभारने की दृष्टि से निर्माण/सजावट के दौरान परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो उसके संबंध में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा समय निर्माता को सूचित किया जावेगा। यह कार्य मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा, जिस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. ऑफरकर्ता द्वारा निर्मित की जाने वाली झांकी की कार्य योजना तथा कार्य हेतु जिस सामग्री का उपयोग करेंगे, उसकी जानकारी म.प्र. माध्यम को समय-समय पर देनी होगी। झांकी का कोई भाग डिजाइन/कार्ययोजना के अनुसार न होने पर निर्माता को सही और संतोषजनक नया निर्माण अपने खर्चे पर करना होगा। यह कार्य मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा एवं इसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

18. ऑफरकर्ता द्वारा पूर्व वर्षों की प्रत्येक झांकी के 12 (इंच) के दो-दो रंगीन फोटोग्राफ म.प्र. माध्यम में प्रस्तुत करने होंगे।
19. झांकी के लिए दरें – झांकी संबंधी सभी कार्यों के लिये निम्नानुसार ऑफर दिये जाये :-
 (अ) “धरोहर राशि”
 (ब) “तकनीकी जानकारी एवं दस्तावेज”

(स) झांकी की डिजाइन्स निर्माण, झांकी का मॉडल निर्माण, झांकी निर्माण की सामग्री, झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन कार्य, लेबर चार्जस, समस्त कलाकारों, मॉडल्स, ट्रांसपोर्टेशन आदि समस्त व्यय दरों में शामिल करके झांकी के लिए निर्धारित संलग्न प्रपत्र में एकजाई दरें दी जाये। समस्त टैक्स (जो भी लागू हो) का पृथक-पृथक उल्लेख अलग से किया जाये। इस कार्य के लिये गठित समिति द्वारा पृथक-पृथक लिफाफे खोले जायेंगे।

उपरोक्तानुसार तीनों प्रकार के दस्तावेज एक लिफाफे में रखकर ऑफर प्रस्तुत किया जाये। ऑफर के उक्त लिफाफे पर “झांकियों के लिये अल्पकालीन रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर” लिखा जाये।

20. उल्लेखनीय है कि यह रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर है। इसके द्वारा ऑफर की शर्तें पूरी करने वाली फर्मों का चयन किया जायेगा। जो फर्म्स ऑफर की शर्तें पूरी करेंगी, उन फर्मों में से प्राप्त न्यूनतम दरें/उपयुक्त दर का निर्धारण किया जायेगा। इसके पश्चात म.प्र. माध्यम को जिन विभागों की झांकियों के लिये कार्यादेश प्राप्त होंगे, उन झांकियों का कार्य शर्तें पूरी करने वाली फर्मों को अल्प समय-सीमा में उनकी कार्य क्षमता/पूर्व वर्षों की झांकियों की गुणवत्ता/प्राप्त पुरस्कार आदि को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम दरों/उपयुक्त दरों पर झांकी संबंधी कार्य सौंपे जा सकते हैं।
21. उपरोक्त रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर एक वर्ष के लिये है, परन्तु दोनों पक्षों की सहमति के बाद एक वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
22. यदि रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो उसकी सूचना वेबसाइट www.mpmadhyam.in के माध्यम से दी जायेगी। इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पंचाट अधिनियम के तहत एकमेव मध्यस्थ जो सचिव/प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर

ऑफरकर्ता का नाम

फर्म की सील

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

26 जनवरी 2025, गणतंत्र दिवस पर्व के लिये भोपाल शहर में चलित
झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन के लिये अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र

1. ऑफरकर्ता का नाम :
2. फर्म का नाम :
3. पत्र व्यवहार का पता :
.....
4. दूरभाष क्रमांक / मोबाईल :
5. आयकर स्थाई लेखा क्र. :
6. फर्म का स्थापना / पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक
7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक दिनांक
- 8 झांकी के लिये दरें :-

(अ) झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन :- प्रत्येक झांकी के निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए दरें समस्त व्यय सहित (बिना टैक्स) :- (अंको में) रू. प्रति झांकी
(शब्दों में) रू. प्रति झांकी

(ब) झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमैल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की एक मुश्त दरें :- समस्त व्यय सहित (बिना टैक्स) :- (अंको में) रू. प्रति झांकी
(शब्दों में) रू. प्रति झांकी

(स) टैक्स विवरण जो लागू हो :- टैक्स का नाम प्रतिशत.....

9. प्रतिभूति राशि : रूपये 50,000 / - डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्र.
दिनांक बैंक का नाम

मैंने इस ऑफर में संलग्न सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर समझ ली है तथा सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ। मैं म.प्र. माध्यम द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के विवरण एवं शर्तों के अनुसार झांकी निर्माण करने को मैं तैयार हूँ। मैं समय-समय पर अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों का पालन करूंगा।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर

ऑफरकर्ता का नाम

(फर्म की सील सहित)

टेलीफोन नं.

मोबाईल नं.

निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :-

1. ऑफर प्रपत्र पृष्ठ क्रमांक 1 से 8 तक एवं निम्नानुसार दस्तावेज पृ. क्रमांक सेतक
2. आयकर स्थाई लेखा क्र. की छायाप्रति
3. फर्म का स्थापना/पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक दिनांक (संलग्न)
4. जीएसटी पंजीयन क्रमांक दिनांक
5. कलाकार/शिल्पकारों से संबंधित प्रमाण पत्र से तक
6. अनुभव प्रमाण पत्र से तक
7. पुरस्कार प्रमाण पत्र से तक
8. आयकर विवरणी की फोटोप्रति एवं जमा किये गये टैक्स के चालानों की प्रतियां
9. फर्म के बैंक खाते की प्रमाणित जानकारी
10. अन्य